

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -01/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

चमेली देवी बनाम कुंवर सिंह महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता - चमेली देवी पित-स्व० चौधरी महतो, ग्राम-महेशपुर, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-गृहणी।

क्रेता का नाम एवं पता - कुंवर सिंह महतो पिता-स्व० मनोहर महतो, ग्राम-महेशपुर, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम - श्री शिवशंकर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-12/04/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता कुंवर सिंह महतो पिता-स्व० मनोहर महतो, ग्राम-महेशपुर, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
महेशपुर	सोनाहातु/82	29	239	1.75 डी० चौहददी:- उ०-क्रेता कुंवर सिंह महतो। द०-नरेन्द्र महतो वगैरह। पू०-सहायक रास्ता। प०-सुचान्द महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-251(ii) दिनांक-12/07/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत दलशा महतो वो बैला महतो वो ठकुरा महतो वो मथुरा महतो वो चतुराम महतो पे० रूप सिंह महतो वो साफी महतो वो गहनु महतो पे० जमना महतो के नाम से दर्ज है।

(2) पंजी II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पति-पत्नी का है।

(3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम सहदेव महतो वो मथुरा महतो वो रूप सिंह महतो वो अनिल महतो वो लालू महतो वो महेश वो चौधरी महतो वो सुखदेव महतो है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2021-22 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पति-पत्नी का है। तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।

R

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-2.13¼ एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रही है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता चमेली देवी पित-स्व० चौधरी महतो, ग्राम-महेशपुर, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-गृहणी, को क्रेता कुंवर सिंह महतो पिता-स्व० मनोहर महतो, ग्राम-महेशपुर, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-12/04/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता चमेली देवी पित-स्व० चौधरी महतो, ग्राम-महेशपुर, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-गृहणी, को क्रेता कुंवर सिंह महतो पिता-स्व० मनोहर महतो, ग्राम-महेशपुर, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
महेशपुर	सोनाहातु/82	29	239	1.75 डी० चौहद्दी:- उ०-क्रेता कुंवर सिंह महतो। द०-नरेन्द्र महतो वगैरह। पू०-सहायक रास्ता। प०-सुचान्द महतो।

लेखापित एवं संशोधित।


23/04

भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।


23/04

भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।